तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 24/2021 मलुखांजी वगैरह बनाम निजाम वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20/12/22

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2021 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष विचाराधीन/लंबित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे न्यायहित को मद्‌देनजर रखते हुए प्रकरण को इस स्तर पर लंबित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उभयपक्ष अधिवक्तओं द्वारा न्यायालय के इस मत पर अपनी सहमति जाहिर की गई।

प्रकरण मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के परनाना जामिन पुत्र नाथा के नाम से खातेदारी दर्ज थी। अपीलांटगण की दादी खतु जामिन की पुत्री थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अपना नाम उक्त खातेदारी भूमि मे बतौर वारिसान दर्ज करवा लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को दौराने वाद बेचान कर सकते है। अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अपीलांट न्याय से महरूम रह जायेगा। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्म्त है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कि अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 24/2021 मलुखांजी वगैरह बनाम निजाम वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा जैर अपील आदेश की फोटो प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगणो सुने बिना मौके की यथास्थिति दिया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना मे निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार का तर्क दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र का 01 वर्ष से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है एवं प्रार्थना पत्र लंबित होने से पक्षकारो को न्याय प्राप्त होने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण मे किसी भी पक्ष की ओर से हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबध माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18/2021 बउनवान मलुखांजी बनाम निजाम मे पारित आदेश दिनांक 09.03.2021 को अपास्त किया जाता है। उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। सहायक कलक्टर बागोडा को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18/2021 बउनवान मलुखांजी बनाम निजाम के अन्तर्गत उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

2

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर